प्रेषक,

निदेशक,(नियोजन एवं बजट),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सवायें, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय / श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय / यू0एच0एम0 कानपुर / ओपैक कैली बस्ती / मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी / बरेली, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 17फ / नि0नि0ब0 / कैम्प / 2019 / 959 दिनांकः 24.09.2019

विषयः चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पृथक उप–संवर्ग सृजित करते हुए नवीन "उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली" के गठन के सम्बन्ध में सुझाव / अभ्युक्ति / मन्तव्य हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक (कार्मिक) के पत्र संख्याः अ0नि0(का0) / कैम्प / 2019 / 364 लखनऊः दिनांकः 23.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें। (संलग्नक)

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पृथक उप–संवर्ग गठन के सम्बन्ध में नवीन **"उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली 2019"** http://dgmhup.gov.in पर अपलोड कर दी गयी है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने सुझाव / अभियुक्ति / मन्तव्य इत्यादि स्वास्थ्य महानिदेशालय की ई–मेल आई0डी0 monitoringcell.dgmh@gmail.com एवं आईडी0 specialistcadre.up@gmail.com पर अपलोडिंग से 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

निदेशक, (नियोजन एवं बजट)

पत्रांकः 17फ / नि0नि0ब0 / कैम्प / 2019 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः स्टाफ आफिसर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, (नियोजन एवं बजट)

Anshu. gen let 3

Draft Service Rules for Specialist Cadre in Department of Medical Health and Family Welfare

DISCLAIMER

Attached is a draft version of the proposed service rules for all doctors working as regular employees with Department of Medical Health and Family Welfare. This has been developed after consultations with public health experts, policy makers, department employees, doctors association representatives and currently working doctors/specialists.

Draft Service rules will be made available online for a period of 15 days. If you have any suggestions or feedback on the draft service rules, you may send an email to '*specialistcadre.up@gmail.com*' with 'Feedback on Service Rules' as the subject line.

Do note that this is a draft version and is subject to change depending on the feedback received.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

MEDICAL SECTION - 2

Notification

Miscellaneous

Number - …./ …………./ …….

Lucknow: Dated ....., ……….., 2019

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all the existing rules and orders on this subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Medical and Health Service.

THE UTTAR PRADESH MEDICAL AND HEALTH SERVICE RULES, 2019

PART -I – GENERAL

Short Title and Commencement	1. (1) These rules may be called “The Uttar Pradesh Medical and Health Service Rules, 2019.” (2) They shall come into force at once.
Status of the Service	2. The Uttar Pradesh Medical and Health Service is a State Service comprising group "A" posts and group “B” posts.

PART - II - CADRE

	3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: (1) "Act" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994; (2) "Additional Director", includes persons substantively appointed to the Level 5 (L5) or any

DRAFT

other persons substantively appointed in the pay-scale of Additional Director equivalent posts in the UPPH sub cadre;

(3) "Appointing authority" means the governor;

(4) “Cadre” means “The Uttar Pradesh Medical and Health Services (UPMHS – Doctors) Cadre

(5) "Chief Consultant", includes persons substantively appointed to the Level 5 (L5) or any other persons substantively appointed in the pay-scale of Chief Consultant equivalent posts in the UPCS sub cadre;

(6) "Citizen of India" means a person who is or is considered to be a citizen of India under part II of the Constitution;

(7) “Commission” means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(8) “Constitution” means the Constitution of India;

(9) “Consultant” means all persons in UPCS sub-cadre substantively appointed at Level 3 (L3), or any other persons substantively appointed in the pay scale of Consultant equivalent posts in UPCS sub-cadre;

(10) “Department” means Department of Medical Health and Family Welfare.

(11) “Director General Clinical Services” (DGCS) includes person appointed substantively to the Level 7 (L7) in the UPCS sub cadre or any other persons substantively appointed in the pay-scale of Director General Clinical Services (DGCS) equivalent posts in the UPCS sub cadre;

(12) "Director General Public Health" (DGPH) includes person appointed substantively to the Level 7 (L7) in the UPPH sub cadre or any other persons substantively appointed in the pay-scale of Director General Public Health (DGPH) equivalent posts in the UPPH sub cadre,

(13) “Director - UPCS” includes persons substantively appointed to the Level 6 (L6) or any other persons substantively appointed in the pay-scale of Director - UPCS equivalent posts in the UPCS sub cadre;

(14) “Director - UPPH” includes persons substantively appointed to the Level 6 (L6) or any other persons

DRAFT

substantively appointed in the pay-scale of Director - UPPH equivalent posts in the UPPH sub cadre;

(15) “Existing members” means persons who were substantively appointed in the cadre of the service prior to the notification of “The Uttar Pradesh Medical and Health Services Rule – 2019” as per the “The Uttar Pradesh Medical and Health Service Rules, 2004”

(16) “Future members” means persons who will be substantively appointed in the cadre of the service after the notification of “The Uttar Pradesh Medical and Health Services Rule -2019”

(17) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(18) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(19) "Joint Director” means persons in the UPPH Sub-cadre at Level 4 (L4), or any other persons substantively appointed in the pay-scale of Joint Director -UPPH equivalent posts;

(20) “Levels” – There shall be 7 levels of posts for UPPH Sub-cadre categorized from Level 1 to Level 7 (L1 to L7) for which eligible members of the service would be appointed as per these rules. There shall be 6 levels of posts for UPCS Sub-cadre categorized from Level 2 to Level 7 (L2 to L7) for which eligible members of the service would be appointed as per these rules;

(21) “Medical Officer Grade I” includes persons entering in UPPH sub-cadre at Level 1 (L1);

(22) “Medical Officer Grade II” means all persons substantively appointed at Level 2 (L2) in the UPPH Sub-cadre or any other persons substantively appointed in the pay-scale of Medical Officer Grade II equivalent posts in the UPPH sub cadre;

(23) "Member(s) of the Service" means a person(s) substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(24) "Other Backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in the Schedule - I of the Act as amended from time to time;

DRAFT

	(25) “Senior Medical Officer” means all persons in service in UPPH sub-cadre at Level 3 (L3), or any other persons substantively appointed in the pay-scale of Senior Medical Officer equivalent posts in UPPH sub-cadre; (26) “Senior Consultant” means persons in the UPCS Sub-cadre at Level 4(L4) including , or any other persons substantively appointed in the pay-scale of Senior Consultant equivalent posts; (27) "Service" means the Uttar Pradesh Medical and Health Service; (28) “Specialist Medical Officer” means all persons entering the UPCS sub-cadre at Level 2 (L2) or its equivalent posts (both degree holder who enter directly at L2 and diploma holders who enter L2 after one year of continuous service in the UPCS sub cadre) (29) "Sub-cadre" means the (1) The Uttar Pradesh Public Health (UPPH) sub cadre, (2) The Uttar Pradesh Clinical Services (UPCS) sub-cadre; (30) “Substantive appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; (31) "UPCS sub-cadre" means a sub-cadre of UPMHS - Doctors cadre in which all the “future members” of the service possess the qualifications prescribed in the rule 8(2) recruited after the notification of these rules; (32) “UPPH sub-cadre" means a sub-cadre of UPMHS - Doctors cadre including all existing members and any future members of the service who possess the qualifications prescribed in rule 8(1); (33) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year;
Cadre of Service	4. (1) There shall be a cadre for doctors called “The Uttar Pradesh Medical and Health Services (UPMHS)” with the following two sub-cadres in the service.

DRAFT

	(i) Uttar Pradesh Public Health (UPPH) sub-cadre (ii) Uttar Pradesh Clinical Services (UPCS) sub-cadre (2) The UPPH sub-cadre will be headed by the Director General Public Health (DGPH) and the UPCS sub-cadre will be headed by the Director General Clinical Services (DGCS). (3) (i) The total strength of the cadre, the strength of the two sub cadres (UPPH, UPCS), the strength of posts in each level for the two sub cadres, and the strength of posts for each Specialty at different levels shall be such as may be determined by the Government from time to time. (ii) The Department shall determine the facilities where the different levels of posts will be located for both the sub cadre depending on the need from time to time. ** Until further orders varying the same are passed under rule 4(3)(i), the total strength of the cadre, the strength of the two sub cadres (UPPH, UPCS), the strength of posts in each level for the two sub cadres, and the strength of posts for each specialty with levels, be as given in the **Appendix-1**. (4) Provided that (i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or (ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

DRAFT

PART - III – RECRUITMENT

Source of Recruitment	5. (1) Recruitment to the various categories of posts in the service sub cadres for **“future members”** shall be made from the following sources:

	A. UPPH sub cadre i. "Medical Officer Grade – I" - By Direct recruitment through the Commission at Level 1 (L1) by written examination only. ii. "Medical Officer Grade – II"- By promotion to L2 posts from amongst the persons who are substantively appointed to the post of Medical Officer Grade – I in the UPPH sub cadre and have completed four (4) years as such on the first day of the year of recruitment. iii. "Senior Medical Officer" - By promotion to L3 posts from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Medical Officer Grade – II (L2) in the UPPH sub cadre and have completed seven(7) years of service as such or taken together have completed total of eleven(11) years of service on the posts of Medical Officer Grade I and Medical Officer Grade II on the first day of the year of recruitment. iv. "Joint Director " - By promotion to L4 posts from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Senior Medical officer (L3) and have completed Six (6) years of service as such or taken together have completed total seventeen (17) years of service on the posts of Medical officer Grade I, Medical Officer Grade II and Senior Medical Officer on the first day of the year of recruitment. * Only for the **"future members"** of UPPH sub-cadre, Chief Medical Officer (CMO) positions will be filled first by persons who have completed Masters in Community Medicine/Diploma in Community Medicine/Masters in Public Health or equivalent courses as defined by the Department from time to time from amongst eligible persons. v. "Additional Director - UPPH" – By promotion to L5 posts from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Joint Director - UPPH (L4) and

DRAFT

have completed seven (7) years of service as such or, taken together have completed total twenty four (24) years of service on the post of Medical officer Grade I, Medical Officer Grade II , Senior Medical Officer and Joint Director - UPPH on the first day of the year of recruitment.

vi. "Director – UPPH" – By promotion to L6 posts (**including Director Family Welfare**) from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Additional Director – UPPH (L5) and have completed two (2) years of service as such or, taken together have completed total twenty -six (26) years of service on the post of Medical officer Grade I, Medical Officer Grade II , Senior Medical Officer, Joint Director - UPPH and Additional Director - UPPH on the first day of the year of recruitment.

vii. "Director General Public Health (DGPH)– By promotion to L7 posts from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Director - UPPH (L6) and have completed six months service as such on the first day of the year of recruitment.

B. UPCS sub cadre

i. "Specialist Medical Officer" – By Direct Recruitment through the Commission by interview only. The Degree holders will be placed at L2 directly while Diploma holders shall enter L2 after one year of joining the service. The diploma holders will be paid equivalent to L1 plus three years of service for their first year of service.

ii. "Consultant" - By promotion to L3 posts from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Specialist Medical Officer (L2) in the UPCS sub cadre and have completed seven (7) years of service in L2 as such on the first day of the year of recruitment.

iii. "Senior Consultant" - By promotion to L4 posts from amongst persons who are

DRAFT

substantively appointed to the posts of Consultant (L3) and have completed Six (6) years of service as such or, taken together have completed total thirteen (13) years of service on the posts of Specialist Medical Officer and Consultant on the first day of the year of recruitment.

iv. Chief Consultant – By promotion to L5 posts from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Senior Consultant (L4) and have completed seven (7) years of service as such or, taken together have completed total twenty (20) years of service on the post of Specialist Medical Officer, Consultant and Senior Consultant on the first day of the year of recruitment.

v. “Director – UPCS” – By promotion to L6 posts from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Chief Consultant (L5) and have completed two (2) years of service as such or, taken together have completed total twenty -two (22) years of service on the post of Specialist Medical Officer, Consultant, Senior Consultant and Chief Consultant on the first day of the year of recruitment.

vi. “Director General Clinical Services (DGCS)” – By promotion to L7 posts from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Director UPCS (L6) and have completed six months service as such on the first day of the year of recruitment.

(2) (A) All the “Existing members” of the cadre as on the date of notification of this rule including those with any Specialists qualifications or undergoing any Specialists course will continue in the UPPH sub cadre in their respective levels as on the date of notification, as they were recruited with MBBS as the minimum qualification.

(B) For the purpose of “existing member” promotions to L3 or higher levels, the posts available in the UPPH and UPCS sub cadres at L3 and above levels combined will

DRAFT

	be taken into account. As and when the "future members" of the UPCS sub cadre become eligible for promotions to L3 and above levels as per these service rules, adequate positions will be made available for their timely promotion. **This provision shall not be applicable to the "future members" of the UPPH sub-cadre**. (C) The "Existing members" at L1 will be promoted to L2 from time to time only based on the vacancies that arises in the UPPH sub cadre L2 (excluding UPCS L2). (D) The "Existing members' of the cadre will be promoted to the next higher level as per the UPPH sub cadre rules defined in rule 5(1)(A). (E) Since it will take time to fill up the specialists UPCS sub cadre posts at different levels, the Department can administratively allow the existing members (UPPH sub cadre) with required qualification to work against the different level posts in the UPCS sub cadre until suitable persons are available. (3) (A) The "Future members" as defined above will enter the service by direct recruitment in the two sub cadres (UPPH and UPCS). The UPPH sub cadre persons enter the service at L1 as defined in 5(1)(A)(i) and the UPCS sub cadre persons enter the service at L2 as defined in 5(1)(B)(i). The "future members" of the two sub-cadres will get promoted to next levels as per the rules defined separately as in 5(1)(A) and 5(1)(B). (B) The promotion for different specialties in UPCS sub-cadre will depend upon the vacancies available at different levels of the concerned Specialty.
Reservation	6. Reservation for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories, shall be in accordance with the relevant Acts, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV- QUALIFICATIONS

Nationality	7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be;

DRAFT

	(1) a citizen of India, or (2) a Tibetan refugee who came over to India before January 1, 1962, with the intention of permanently settling in India; or (3) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any the East African country such as Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India; Provided that a candidate belonging to category (2) or (3) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government: Provided further that a candidate belonging to category (2) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh; Provided also, that if a candidate belongs to the category (3) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship. Note: A candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has not been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.
Educational Qualification	8. (1) **UPPH sub cadre**: A candidate for direct recruitment to various posts in the UPPH Sub-Cadre of the service, must possess MBBS degree of a university recognized by the Medical Council of India. **(Appendix -2A)** *Compulsory Residential Rotating Internship candidates who may not have completed rotating internship shall be eligible to appear for UPPH sub cadre direct recruitment written examination provided that, if selected, they shall have

DRAFT

	satisfactorily completed the compulsory internship before joining the service. (2) **UPCS sub cadre:** A candidate for direct recruitment to various posts in the UPCS sub-cadre of the service must possess (i) MBBS degree of a university recognized by the Medical Council of India and, (ii) Postgraduate degree / diploma in the concerned Specialty of a university or its equivalent recognized by the Medical Council of India or by the Uttar Pradesh Medical Council. **(Appendix-2A)** *The specific qualifications for the different specialties in the UPCS sub cadre is in **Appendix-2B** as on the date of notification. Any further changes in Appendix-2B can be done by the Department from time to time.
Preferential Qualification	9. A candidate who: (1) has served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or (2) has obtained a "B" certificate of National Cadet Corps, or (3) possesses a higher academic qualifications, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment
Age	10. (1) A candidate for direct recruitment for the **UPPH sub cadre** must have attained the age of twenty-one years and must not have attained the age of more than **thirty-five** years on the first day of July of the Calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the commission; Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified. (2) A candidate for direct recruitment for the **UPCS sub cadre** must not have attained the age of more than **forty-five** years on the first date of July of the Calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the commission.

DRAFT

	Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.
Character	11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. Note: Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union government or a State government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
Marital Status	12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service; Provide that the Government may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
Physical Fitness	13. No candidate shall be appointed to a post in the service, unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board; Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

DRAFT

PART – V – PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of Vacancies	14. (1) The Appointing Authority shall first determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment in both the sub cadres as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be

	filled through the commission shall be intimated to the Commission.
Seniority: – (1) Existing- members seniority (2) Sub – Cadre seniority UPPH (3) Sub – Cadre seniority UPCS Sub- Cadre seniority between degree and diploma holders (4) **In-service UPPH sub cadre ("existing members") who are already specialists (degree or diploma), or in – service UPPH sub cadre members ("existing members") who are pursuing Specialty degree/diploma courses at the time of notification of this rules or in-service UPPH sub cadre members ("existing members") who join Specialty degree/diploma and join back after the notification of rules** (5) **In-service UPPH sub cadre members ("Future members") who join and complete Specialty degree/diploma** (6) Specialty wise Seniority	15 **(1) Existing- members seniority:** (A) All "Existing members" as defined in Rule 3(15) will retain the seniority number already fixed as on the date of notification of this rule and the same seniority number will be used for the rest of their career. (B) The "Existing members" Seniority number will be considered higher than that of any of the "Future member" of both the sub cadres. This will be applicable even for the "Future members" of the UPCS sub cadre who may join at the L2 level directly as defined in this rule. **(2) UPPH Sub- Cadre Seniority** (A) A sub cadre seniority number will be assigned to the "Future members" of the UPPH sub cadre to decide the seniority amongst the "Future members" of the UPPH sub cadre below that of the last seniority number of the "Existing Members" (B) The seniority number of the "Future members" of the UPPH sub cadre will be in order of the list sponsored by the Commission, in case the selected candidate joins the service within three months of the date of communication of their selection, by the Department. In case the selected candidate joins after three months of communication by the department the sub cadre seniority number will be in order of the date of joining of the service. For joining the service beyond three months from the date of communication, the selected candidate must also obtain prior approval from the department within the first three months of the communication by the department. (C) In case a candidate with a Specialist degree/diploma qualification applies for the UPPH sub cadre recruitment on his/her volition and gets selected as "Future members" of the UPPH sub cadre then the selected candidate will continue in the UPPH sub cadre irrespective of his/her higher qualification. **(3) UPCS Sub- Cadre Seniority**

DRAFT

(A) A sub cadre seniority number starting from number 100000 (one lakh) will be assigned to the “Future members” of the UPCS sub cadre to decide seniority amongst the “Future members” of the UPCS sub cadre.

(B) The seniority number of the “Future members” of the UPCS sub cadre will be in order of the list forwarded by the Commission (first all degree holders, followed by the diploma holders as defined below), in case the selected candidate joins the service within three months of the date of communication of their selection, by the Department. In case the selected candidate joins after three months of communication by the department the sub cadre seniority number will be in order of the date of joining of the service. For joining the service beyond three months from the date of communication, the selected candidate must also obtain prior approval from the department within the first three months of the communication by the department.

(C) Sub cadre Seniority number allocation amongst UPCS – Degree holders and Diploma holders recruited together:

Both degree holders and diploma holders are eligible for direct entry in to UPCS sub cadre as in rule 5(1)(B)(i) above. A sub cadre seniority number will be first allocated to the persons with degree qualification in the UPCS sub cadre as defined in rule 15(3)(B) to determine the seniority amongst the UPCS Specialists doctors with degree qualification. Diploma holders from the list forwarded by the commission who joins as per rule 15(3)(B) in the UPCS sub cadre will be given a UPCS sub cadre seniority number just below the last UPCS sub cadre seniority number allocated to the person with degree qualification of that year. i.e for the purpose of seniority all the degree holder(s) will be allotted seniority number first in accordance to the list forwarded by the commission and rule 15(3)(B) above followed by that of the diploma holders. For both the degree and diploma holders joining after a period of 3 months from the date of communication by the Department as defined in rule 15(3)(B), the date of joining will determine their sub cadre seniority. **(Appendix-3: Illustration of Seniority)**

***** Persons with degree/diploma joining the UPCS sub-cadre based on the list forwarded by the

DRAFT

Commission for the subsequent recruitment cycles will be allotted Seniority number below that of the Seniority number allotted to the UPCS sub-cadre diploma holders who have joined the service in the previous recruitment cycle.

(4) In-service UPPH sub cadre ("existing members") who are already specialists (degree or diploma), or in – service UPPH sub cadre members ("existing members") who are pursuing Specialty degree/diploma courses at the time of notification of this rules or in-service UPPH sub cadre members ("existing members") those who join Specialty degree/diploma and join back after the notification of rules, his/her seniority number in the UPPH sub cadre will be retained and will continue to be part of UPPH sub cadre for the rest of their service.

(5) In-service UPPH sub cadre members ("Future members") who join and complete Specialty degree/diploma after the notification of rules:

(A) Doctors from the UPPH sub cadre ("future members") who join Post Graduate diploma or degree courses that are required for the Government as in Appendix-2B after the notification of this rule and join back after entering L2 will shift horizontally to the UPCS sub cadre. His/her seniority number in the UPCS sub cadre will be fixed based on the date of entry in to L2 in the UPPH sub cadre.

(B) Doctors from UPPH sub cadre ("future members") who join Post Graduate diploma or degree courses required for the Government as in Appendix-2B and join back before their entry in to L2 substantively will continue in the UPPH sub cadre until his/her entry in to L2 and then shift horizontally to the UPCS sub cadre. His/her seniority number in the UPCS sub cadre will be fixed based on the date of entry in to L2. The services of these doctors can however be used as that of a specialist's if required.

(C) In case a UPPH sub cadre person completes diploma/degree prior to his entry in to L2 and a UPCS sub cadre person with diploma qualification enter the L2 substantively on the same date, the UPPH diploma/degree holder will be considered senior to the UPCS sub cadre diploma holder.

DRAFT

	(D) The number of UPPH "future members" who would complete the post graduate courses as mentioned above and join the UPCS sub cadre at different levels should be considered for calculating the strength of the UPCS cadre and for sending the number of vacancies to the commission for direct recruitment and for promotion purpose. **(6) Specialty wise seniority** (A) The Specialty wise seniority list will be based on the seniority number of UPCS sub cadre and will be published annually. Illustration in **Appendix – 3**
Procedure for Direct Recruitment	16. (1) Application for being considered for selection shall be invited by the Commission in the prescribed proforma published in the advertisement issued by the Commission. (2) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency for the UPPH sub cadre, as disclosed by the marks obtained by each candidate in the written examination. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The commission shall forward the list to the appointing authority. (3) The Commission shall prepare a list of candidates, in order of their proficiency for the UPCS sub cadre, as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview (separate for the degree holders and diploma holders). If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the respective lists for degree/diploma holders. The commission shall forward the lists (separate for degree and diploma holders) to the appointing authority. (4) The commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule-6, call for interview such numbers of candidates for the UPCS sub cadre, who fulfill the required qualifications as they consider proper.

DRAFT

Procedure for Recruitment by Promotion for UPPH and UPCS sub cadre	17. **(1)** Recruitment by Promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the Purview of the Service Commissions, Rules, 1992, as amended from time to time. Note: Nomination of officers for giving representation to the Schedule Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time. (2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their Character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper: (3) The selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in 17(2) of this rule and, if it considers necessary, it may interview the candidates also. (4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates as per the rules defined above for promotion, and forward the same to the appointing authority.

PART - VI - APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment	18. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16 or 17, as the case may be.
Probation	19. (1) A person on substantive appointment to the post of Medical Officer Grade – I (UPPH), or

DRAFT

	Specialist Medical Officer (UPCS) shall be placed on probation for a period of two years. (2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted: Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation- (A) In the case of Medical Officer Grade – I (UPPH) or Specialist Medical Officer(UPCS) shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years. (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his/her opportunities he may be reverted to his substantive post, if any, and if he/she does not hold a lien on any post, his/her services may be dispended with. (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under rule 19(3) of this rule shall not be entitled to any compensation. (5) The appointing authority may allow continuous services, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
Confirmation	20. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if- (A) his work and conduct is reported to be satisfactory, and (B) his integrity is certified. (2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the

DRAFT

	probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

PART VII - PAY ETC.

Scales of Pay	21. (1) The scales of pay, admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in **Appendix-1.**
Post Graduate Pay	22. (1) Subject to the condition given hereunder, post-graduate pay shall be admissible to a member of the service. (2) The post graduate pay shall not be admissible to a member of the service who acquires or has acquired the post graduate qualification at the expense of or on a scholarship or fellowship of: (A) The State Government; (B) Government of India or any foreign Government on the sponsorship of the State Government or; (C) any institution or organization Indian or foreign on the sponsorship of the State Government. Explanation – (i) The grant of study leave or leave of any other kind as may be due shall not disqualify a member of the service for the grant of post graduate pay, if the cost of passage to and from abroad is not financed or subsidized by the state Government, Central Government or an Indian or Foreign institution or organization. (ii) The expenditure borne by the State Government only up to the part of embarkation or disembarkation shall not disqualify a person from receiving the post graduate pay. (iii) When a person holds two or more post-graduate qualifications, post graduate pay will be allowed on the highest qualification only.

DRAFT

	(iv) The rates of the post graduate pay at the time of the commencement of these rules are as follows: (a) For post graduate degree or other equivalent qualifications Rs. 200 per month; (b) For post graduate diploma Rs. 100 per month.
Pay during probation	23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory services, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years' services when he has completed the probationary period and is also confirmed. (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules. (3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII - OTHER PROVISIONS

Canvassing	24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
Wearing of apron with badge on duty	25. (1) Every member of the service, while on duty, shall bear apron with name and designation on badge as laid down from time to time by the Director General in consultation with the Government. (2) No allowance or expenditure of any kind shall be admissible to any member of the service for

DRAFT

	preparing, purchasing or replacing of dress under sub-rule (1) of this rule.
Regulations of other matters	26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.
Relaxations from the conditions of service	27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of the persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner: Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.
Postings	28. (1) The cadre persons (UPPH and UPCS) may be posted to their home districts to which they belong to as per the vacant posts available except those who occupy the administrative posts. The list of administrative posts will be defined by the Department from time to time. (2) The Government reserves the right to post the members of the cadre to any place as per the requirements.
Savings	29. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,

(Deepak Kumar)
Principal Secretary

DRAFT

Appendix -1

Level-wise allocation of UPPH Sub-cadre and UPCS Sub-cadre is as below:

Level	Total Number of posts	Number of UPPH posts	Number of UPCS posts
L1	4213	4213	
L2	7665	2706	4959
L3	3540	1823	1717
L4	2553	1343	1210
L5	389	210	179
L6	20	12	8
L7	2	1	1
Total	**18382**	**10308**	**8074**

Specialty-wise allocated posts for UPCS Sub-cadre is as below*:

Specialist	No. of Posts	L2	L3	L4	L5	L6	L7
Gynaecologist	1271	831	258	158	23	1	
Anaesthetist	1355	831	291	203	29	1	
Paediatrician	1460	831	340	250	38	1	
Radiologist	175	135	22	13	4	1	
Pathologist	175	135	22	13	4	1	
General Surgeon	1528	831	371	292	33	1	
Physician	1354	831	291	203	28	1	
Opthomologist	175	135	22	14	4		
Orthopaedic Specialist	120	81	21	14	3	1	
ENT Specialist	175	135	22	14	4		
Dermatologist	55	34	12	7	2		
Psychiatry Specialist	55	34	12	7	2		
Microbiologist	55	34	12	7	2		
Forensic Specialist	120	81	21	15	3		
DG Clinical Services	1						1
Total	**8074**	**4959**	**1717**	**1210**	**179**	**8**	**1**

*- Level-wise places of posting of UPPH and UPCS sub-cadres will be as notified by the Department from time to time

DRAFT

Pay scale for UPPH and UPCS Sub-cadre is mentioned below:

		7th Pay Commission		
Sub-Cadre	**6th Pay Commission**	**Minimum Pay**	**Level**	**Index**
UPPH L1	PB-3 5400	56100	10	2.67
UPPH/UPCS L2	PB-3 6600	67700	11	2.67
UPPH/UPCS L3	PB-3 7600	78800	12	2.67
UPPH/UPCS L4	PB-4 8700	118500	13	2.57
UPPH/UPCS L5	PB-4 8900	131100	13A	2.67
UPPH/UPCS L6	PB-4 10000	144200	14	2.72
UPPH/UPCS L7	PB-4 12000	144200	14	2.72

DRAFT

Appendix – 2A

	1	2	3
II.	**UP Public Health Sub-cadre L1 posts** 1. Medical Officer Grade I (Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 5,400)	Not exceeding 35 years	**Essential:** (i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Completion of compulsory rotating internship candidates who may not have completed rotating internship shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment. **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of J&K State, the Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Uttar Pradesh Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Uttar Pradesh Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Uttar Pradesh Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
II	**UP Clinical Services Sub-Cadre L2 posts** **1. Specialist Medical Officer**	Not exceeding 45 years	**Essential:** (i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.

DRAFT

	(Pay Band-3, Rs 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 6600)		(ii) Post-Graduate Degree/Diploma or equivalent in the concerned Specialty mentioned in this Annexure. Accepted qualifications for each specialty is mentioned in this Annexure and may be modified as notified from time to time by the Government. **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of J&K State, the Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Uttar Pradesh Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Uttar Pradesh Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Uttar Pradesh Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

DRAFT

Appendix – 2B

Eligibility for UPCS sub cadre L2 posts
**The Department may amend the eligibility requirements from time to time as per the rules prescribed by the regulatory agency (ies)

SI. No.	**Subject**	**Section-A** **Requisite Post Graduate** **Degree Qualification**	**Section-B** **Requisite Post Graduate** **Diploma Qualification**
1	2	3	4
1.	General Medicine	M.D. (Medicine) M.D. (General Medicine)	
2.	General Surgery	M.S. (Surgery) M.S. (General Surgery)	
3.	Obstetrics and Gynaecology	M.D. (Obstetrics & Gynae.) M.S. (Obstetrics & Gynae.)	D.G.O.
4.	Paediatrics	M.D. (Paediatrics) Diploma Paed., D.C.H.	Dip. Paeds. DCH
5.	Anesthesiology	M.D. (Anesthesiology)/ M.S. (Anesthesiology)	D.A.
6.	Opthalmology	M.S. (Opthalmology) M.D. (Opthalmology)	D.O. D.O.M.S.
7.	Orthopaedics	M.S. (Ortho)	D.Ortho.
8.	Radio-diagnosis	M.D. (Radio-diagnosis)/ M.D. (Radiology)/ M.S. (Radiology)	D.M.R.D. or equivalent diploma of one year duration
9.	Pathology	M.D. (Pathology)/ Ph.D. (Pathology)/ D.Sc. (Pathology)	DCP DPB
10.	Oto-Rhino-Laryngology (ENT)	M.S. (Oto-Rhino-Laryngology)	D.I.O. D.O.R.L.
11.	Dermatology	M.D. (Dermatology) M.D. (Dermatology & Venereology) M.D. in Medicine with diploma in Dermatology	D.D.
12.	Psychiatry	M.D. (Psychiatry) M.D. (Psychological (One year course) Medicine)/ M.D. in Medicine with Diploma in Psychological Medicine Diploma in Psychiatry (Edin) of two years course,	D.P.M.
13.	Microbiology/ Bacteriology	M.D. (Bacteriology)/ M.D. (Microbiology)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Med.) Bacteriology/ M.Sc. (Med.)	

DRAFT

		Microbiology/ Ph.D. (Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med. Bacteriology) with D.Sc. (Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Microbiology)/ M.Sc. (Med. Microbiology) with D.Sc. (Med. Microbiology)	
14.	Forensic Medicine	M.D. (Forensic Medicine)	

DRAFT

Appendix – 3

Illustration of Seniority fixing of UPPH and UPCS doctors completing Specialty courses required for the Government.
Background: Let the existing doctors lowest seniority number be 20000
Explanation for Rule 15(1):
Doctor A is an existing doctor with Seniority No: 19000 who after the notification of these rules will be in the UPPH Sub-cadre. Doctor B has a PG Degree and joins in the UPCS Sub-cadre at L2 level in the first cycle of recruitment. He/She is allotted a UPCS Seniority No: 100000.

Doctor A with UPPH Seniority No: 19000 will be considered senior to Doctor B with UPCS Seniority No: 100000

Explanation for Rule 15(2)(B):
Doctor A, B, C and D got selected for UPPH Sub-cadre in June 2020 in the same order of merit (Doctor A higher in merit than Doctor B higher in merit than Doctor C higher in merit than Doctor D). Doctor A and D have joined the service before Aug 2020. After necessary approvals, Doctor B has joined service in Dec 2020 and Doctor C has joined service in Nov 2020.

Doctor A is given UPPH Seniority No: 20001, Doctor D is given Seniority No: 20002. After 3 months from communication, Seniority No: will be determined based on Date of Joining. Hence, Doctor C is given UPPH Seniority No: 20003 and Doctor D is given UPPH Seniority No: 20004

Explanation for Rule 15(2)(C):
Doctor A is an existing doctor with Seniority No: 20000(lowest currently existing). Doctor B is an MBBS doctor and Doctor C is a doctor with a PG Diploma. Both Doctor B and C apply to UPPH Sub-cadre and got selected in the recruitment process with Doctor B higher than Doctor C in the list forwarded by Commission.

Doctor B and C will be given UPPH Seniority No:20001 and UPPH Seniority No: 20002 respectively. Doctor C will continue in UPPH Sub-cadre only for the rest of his/her career.

Explanation for Rule 15(3):
After notification of these rules, in the first cycle of recruitment, 50 Specialists join the UPCS sub-cadre within 3 months – 25 PG degree holders and 25 PG Diploma holders
In the list forwarded by Commission, Doctor A is the highest in the PG Degree holders and Doctor B is the highest in PG Diploma holders.

Doctor A is allotted UPCS Seniority no: 100001 and Doctor B is allotted UPCS Seniority no: 100026 after allotting the seniority number to the 25 degree holders

Explanation for Rule 15(5) for “future members”

Explanation for Rule 15(5)(A):
Doctor A joins UPPH sub-cadre in June 2025 and is allotted a UPPH Seniority no: 30000. He enters L2 in June 2029, joins PG Degree in 2027 and rejoins service in June 2030.
Doctor B is a PG Degree holder and joins UPCS sub-cadre directly in June 2029 and is allotted a UPCS Seniority No: 104000

DRAFT

Doctor A moves horizontally to UPCS sub-cadre in June 2030 and is allotted UPCS Seniority no: 10400Ka based on his date of entry into L2

Explanation for Rule 15(5)(B):
Doctor A has joined UPPH sub-cadre in June 2021 and is allotted a UPPH Seniority no: 21000. He joins PG Diploma in 2022 and rejoins service in Jan 2024. He will continue in UPPH sub-cadre until his entry into L2 level (June 2025).
Doctor B is a PG Degree holder has joined UPCS sub-cadre in June 2025 with a UPCS Seniority No: 102000
Doctor C is a PG Diploma recruit who has joined UPCS sub-cadre and enters L2 in June 2025 on the same day as Doctor B entering L2 level.

Doctor C is allotted UPCS Seniority No: 102001 on the date of his joining the service
Doctor A will be given UPCS Seniority No:102000Ka in June 2025 on the date of his entry into L2

Explanation for Rule 15(5)(C):
Doctor A and B have joined UPCS Sub-cadre in June 2020 and are allotted UPCS Seniority Numbers 100001 and 100002 respectively.
Doctor A has a PG Degree. Doctor B has a PG Diploma and will enter L2 level after 1 year.
Through next cycle of recruitment, Doctor C has joined UPCS Sub-cadre and has a PG Degree.

Doctor C will be allotted UPCS Seniority No: 100003 below that of the PG Diploma holders of the previous recruitment cycle

Explanation for Rule 15(5)(D):
Doctor A and B have joined UPCS Sub-cadre in June 2020 and are allotted UPCS Seniority Numbers 100001 and 100002 respectively.
Doctor A has a PG Degree. Doctor B has a PG Diploma and will enter L2 level after 1 year.
Through next cycle of recruitment, Doctor C has joined UPCS Sub-cadre and has a PG Degree.

Doctor C will be allotted UPCS Seniority No: 100003 below that of the PG Diploma holders of the previous recruitment cycle

DRAFT

उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा अनुभाग–2

संख्या............./सेक–2–पांच–2004–7(53)/98टी0सी0

लखनऊ : दिनांक : ....सितम्बर, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों को अवक्रमित करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2019

भाग – एक – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2019'' कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2. उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी राज्य सेवा है जिसमें समूह ''क'' एवं समूह ''ख'' के पद समाविष्ट हैं।
परिभाषायें	3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :– (1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ; (2) ''अपर निदेशक'' के अन्तर्गत स्तर–5 (एल5) पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति या यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में अपर निदेशक के समकक्ष पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हैं; (3) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है ; (4) ''संवर्ग'' का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (यू0पी0एम0एच0एस0–चिकित्सक) संवर्ग से है ;

(5) ''मुख्य परामर्शदाता (Chief Consultant)'' के अन्तर्गत स्तर–5 (एल5) पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति या यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में मुख्य परामर्शदाता के समकक्ष पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हैं

(6) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(7) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(8) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है ;

(9) ''परामर्शदाता'' (Consultant) का तात्पर्य यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में स्तर–3 (एल3) पर सेवारत समस्त व्यक्तियों या यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में परामर्शदाता के समकक्ष पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति से है ;

(10) ''विभाग'' का तात्पर्य चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से है ;

(11) ''महानिदेशक, क्लीनिकल सेवायें (डी0जी0सी0एस0)'' के अन्तर्गत स्तर–7 (एल7) पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति या यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में ''महानिदेशक, क्लीनिकल सेवायें (डी0जी0सी0एस0)'' के समकक्ष पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं;

(12) ''महानिदेशक, पब्लिक हेल्थ (डी0जी0पी0एच0)'' के अन्तर्गत स्तर–7 (एल7) पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति या यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में ''महानिदेशक, पब्लिक हेल्थ (डी0जी0पी0एच0'' के समकक्ष पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं;

(13) ''निदेशक, यू0पी0सी0एस0'' के अन्तर्गत स्तर–6 (एल6) पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति या यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में ''निदेशक, यू0पी0सी0एस0'' के समकक्ष पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं;

(14) '' निदेशक–यू0पी0पी0एच'' के अन्तर्गत स्तर–6 (एल6) पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति या यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में निदेशक, यू0पी0पी0एच0 के समकक्ष पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं ;

(15) ''विद्यमान सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2019'' के प्रख्यापन के पूर्व प्रवृत्त ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों से है ;

(16) ''भावी सदस्य'' का तात्पर्य संवर्ग में किसी पद पर ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2019'' के प्रख्यापन के पश्चात तदन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तिों से है ;

(17) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(18) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(19) ''संयुक्त निदेशक'' का तात्पर्य यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में स्तर–4 (एल4) पर सेवारत व्यक्तियों या संयुक्त निदेशक, यू0पी0पी0एच0 के समकक्ष पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति से है ;

(20) ''स्तर'' – यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में पदों को स्तर–1 से स्तर–7 (एल1 से एल7) तक सात श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिनपर इन नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह सदस्यों को नियुक्त किया जायेगा। यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में पदों को स्तर–2 से स्तर–7 (एल2 से एल7) तक छः श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिनपर इन नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह सदस्यों को नियुक्त किया जायेगा ;

(21) ''चिकित्सा अधिकारीः ग्रेड– I'' में यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में स्तर–1 (एल1) पर प्रवेश करने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं ;

(22) ''चिकित्सा अधिकारीः ग्रेड– II'' का तात्पर्य यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में स्तर–2 (एल2) पर मौलिक रूप से नियुक्त समस्त व्यक्तियों से हैं या यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में चिकित्सा अधिकारीः ग्रेड– II के समकक्ष पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त किन्ही अन्य व्यक्तियों से है ;

(23) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के अन्तर्गत या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(24) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गो के नागरिकों से है ;

(25) ''वरिष्ठ चिकित्साधिकारी'' का तात्पर्य यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में स्तर–3 (एल3) पर मौलिक रूप से नियुक्त समस्त व्यक्ति या यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के समकक्ष पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति से हैं ;

(26) ''वरिष्ठ पमामर्शदाता'' का तात्पर्य यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में स्तर–4 (एल4) पर सेवारत व्यक्तियों या यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठ परामर्शदाता के समकक्ष

	पदों के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति से है ; (27) ''सेवा'' का तात्पर्य 'उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा' से है; (28) ''विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी'' का तात्पर्य उन समस्त व्यक्तियों से है जो यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में स्तर–2 (एल2) या इसके समकक्ष पदों पर प्रवेश करते हैं, (डिग्री–धारक जो सीधे स्तर–2 (एल2) पर प्रवेश करते हैं एवं डिप्लोमा–धारक जो यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में एक वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात स्तर–2 (एल2) पर प्रवेश करते हैं)। ; (29) ''उप संवर्ग'' का तात्पर्य है–(1) उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ (यू0पी0पी0एच0) उप संवर्ग, (2) उत्तर प्रदेश क्लीनिक सेवाएं (यू0पी0सी0एस0) उप संवर्ग; (30) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तद्समय के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो ; (31) ''यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग'' का तात्पर्य ''यू0पी0एम0एच0एस0– चिकित्सक संवर्ग'' के उप–संवर्ग से है जिसमें सेवा के समस्त भावी सदस्य नियम–8(2) में निर्धारित योग्यता रखते हैं एवं इस सेवा नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात भर्ती हुए हैं ; (32) ''यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग'' का तात्पर्य ''यू0पी0एम0एच0एस0– चिकित्सक संवर्ग'' के उप–संवर्ग से है जिसमें सेवा के समस्त विद्यमान सदस्य एवं भावी सदस्य सम्मिलत है जो नियम–8(1) में निर्धारित योग्यता रखते हैं। (33) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली (12) बारह माह की अवधि से है ;
भाग – दो – संवर्ग	
सेवा का संवर्ग	4. (1) चिकित्सकों हेतु सेवा का एक संवर्ग होगा जिसे ''उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (यू0पी0एम0एच0एस0)'' कहा जायेगा। इसके अन्तर्गत सेवा में निम्नलिखित दो उप–संवर्ग होंगे :– (i) उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ (यू0पी0पी0एच0) उप–संवर्ग (ii) उत्तर प्रदेश क्लीनिकल सेवायें (यू0पी0सी0एस0) उप–संवर्ग

	(2) यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग का नेतृत्व महानिदेशक–डी0जी0पी0एच0 द्वारा किया जायेगा तथा यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग का नेतृत्व महानिदेशक–डी0जी0सी0एस0 द्वारा किया जायेगा। (3) (i) संवर्ग की कुल सदस्य संख्या, दोनों उप–संवर्गों–यू0पी0पी0एच0 एवं यू0पी0सी0एस0 की सदस्य संख्या, दोनो उप–संवर्गों हेतु प्रत्येक स्तर के पदों की संख्या एवं विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक विशेषज्ञता हेतु पदों की संख्या उतनी होंगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की गयी हों, (ii) विभाग उन चिकित्सा इकाइयों को अवधारित करेगा जहां पर दोनों उप–संवर्गों के विभिन्न स्तर के पदों को समय–समय पर आवश्यकता के आधार पर अवस्थित किया जायेगा। ** जब तक उपर्युक्त प्रस्तर–4(3)(i) के संबंध में विद्यमान व्यवस्था से इतर आदेश पारित न किए जायें, संवर्ग की कुल सदस्य संख्या, दोनो उप–संवर्गों–यू0पी0पी0एच0 एवं यू0पी0सी0एस0 की सदस्य संख्या, दोनो उप–संवर्गों हेतु प्रत्येक स्तर के पदों की संख्या एवं विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक विशेषज्ञता हेतु पदों की संख्या **अनुलग्नक–1** में इंगित की गयी है। (4) **परन्तु –** (i) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या (ii) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हे वह उचित समझें।
भाग – तीन – भर्ती	
भर्ती का स्रोत	5. (1) **''भावी सदस्यों''** की सेवा में उप–संवर्गों के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– (क) **यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग** (i) ''चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–।'' : स्तर–1 (एल1) पर केवल लिखित परीक्षा द्वारा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। (ii) ''चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–।।'' : स्तर–2 (एल2) स्तर के पदों पर यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–। के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे

		व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार (4) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। (iii) ''वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी'' – स्तर–3 (एल3) के पदों पर यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–।। (एल2) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात (7) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1 एवं चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–।। के पदों पर, दोनों को मिलाकर, कुल 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। (iv) ''संयुक्त निदेशक'' :स्तर–4 एल4 के पदों पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एल3) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में छः (6) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–।, चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–।। एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों पर, सभीं को मिलाकर, कुल सत्रह (17) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। *****यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के केवल ''भावी सदस्यों'' के लिए, मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एम0ओ0) के पदों को पहले उन व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा जिन्होने सामुदायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर/सामुदायिक चिकित्सा में डिप्लोमा/सार्वजनिक स्वास्थ्य या समकक्ष पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर किया हो और जैसाकि पात्र व्यक्तियों में से विभाग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया गया हो। (v) ''अपर निदेशक–यू0पी0पी0एच0'' : एल5 के पदों पर, संयुक्त निदेशक–यू0पी0पी0एच0 (एल4) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में सात (7) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–।, चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–।।, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक–यू0पी0पी0एच0 के पदों पर, सभीं को मिलाकर, कुल चौबीस (24) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। (vi) ''निदेशक–यू0पी0पी0एच0'' :एल6 स्तर के पदों **(निदेशक, परिवार कल्याण सहित)** पर अपर निदेशक–यू0पी0पी0एच0 (एल5) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में दो (2) वर्ष की सेवा पूरी कर

ली हो या चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–I, चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–II, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त निदेशक–यू0पी0पी0एच0 एवं अपर निदेशक–यू0पी0पी0एच0 के पदों पर, सभी को मिलाकर, कुल छब्बीस (26) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(vii) ''महानिदेशक, पब्लिक हेल्थ (डी0जी0पी0एच0) '' : एल7 के पदों पर, निदेशक, यू0पी0पी0एच0 (एल6) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में छः (6) माह की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ख) **यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग**

(i) ''विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी'' – केवल साक्षात्कार द्वारा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। डिग्री–धारक एल2 पर सीधे भर्ती/तैनात किए जायेंगे जबकि डिप्लोमा–धारक सेवा में योगदान देने के एक वर्ष बाद एल2 में प्रवेश करेंगे। डिप्लोमा धारको को एक वर्ष तक, सेवा में तीन (3) वर्ष की सेवा सहित एल1 पर तैनात चिकित्सकों के समकक्ष भुगतान किया जायेगा

(ii) ''परामर्शदाता''– एल3 के पदों पर, यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (एल2) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, एल2 पर इस रूप में सात (7) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(iii) ''वरिष्ठ परामर्शदाता – एल4 के पदों पर, परामर्शदाता (एल3) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, एल3 पर इस रूप में छः (6) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी एवं परामर्शदाता के पदों पर, दोनों को मिलाकर, कुल तेरह (13) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(iv) ''मुख्य परामर्शदाता'' : एल5 के पदों पर, वरिष्ठ परामर्शदाता (एल4) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में सात (7) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, परामर्शदाता एवं मुख्य परामर्शदाता के पदों पर, सभी को मिलाकर, कुल बीस (20) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(v) ''निदेशक–यू0पी0सी0एस0'': एल6 के पदों पर मुख्य परामर्शदाता, (एल5) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त

	ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में दो (2) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, परामर्शदाता, वरिष्ठ परामर्शदाता एवं मुख्य परामर्शदाता के पदों पर, सभी को मिलाकर, कुल बाईस (22) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। (vi) ''महानिदेशक, क्लीनिकल सेवायें (डी0जी0सी0एस0)'' : एल7 के पदों पर, निदेशक, यू0पी0सी0एस0 (एल6) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में छः (6) माह की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। (2) (क) इस नियमावली के प्रख्यापन की दिनांक को विशेषज्ञ योग्यता वाले अथवा विशेषज्ञ पाठ्यक्रम में अध्ययनरत सदस्यों सहित संवर्ग के समस्त ''विद्यमान सदस्य'',यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में ही अपने–अपने स्तर पर बने रहेंगे क्योंकि वे एम0बी0बी0एस0 की न्यूनतम योग्यता के साथ भर्ती हुए थे। (ख) ''विद्यमान सदस्यों'' की एल3 व उससे उच्चतर स्तर पर पदोन्नति हेतु यू0पी0पी0एच0 एवं यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में एल3 और उससे उच्च स्तर पर उपलब्ध पदो को समाहित करते हुए उन्हें सज्ञान में लिया जाएगा। इस सेवा नियमावली के अनुसार यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के ''भावी सदस्य'' जब–जब एल3 और उससे उच्चतर स्तर के पदों पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे, उनकी समय पर पदोन्नति हेतु समुचित पदों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। **यह प्रावधान यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के ''भावी सदस्यों'' पर लागू नहीं होगा।** (ग) एल1 पर ''विद्यमान सदस्यों'' को, केवल यू0पी0पी0एच0 उपसंवर्ग में एल2 पर उपलब्ध होने वाली रिक्तियों (यू0पी0सी0एस0 एल2 को छोड़कर) के आधार पर यू0पी0पी0एच0 उप संवर्ग में एल2 पर समय–समय पर पदोन्नत किया जायेगा। (घ) संवर्ग के ''विद्यमान सदस्यो'' को अगले उच्चतर स्तर पर यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के नियम–5(1)(क) के अनुसार प्रोन्नत किया जायेगा। (ड़) चूँकि यू0पी0सी0एस0 उप–सवंर्ग में विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञ पदों को भरने में समय लगेगा, अतः प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाग अपेक्षित योग्यता–धारित यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के विद्यमान सदस्यों को

	यू0पी0एस0सी0 उप–संवर्ग के विभिन्न स्तर के पदों के सापेक्ष तब तक कार्य करने की अनुमति दे सकता है जब तक योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो जाएं। (3) (क) ''भावी सदस्य'', जैसाकि ऊपर परिभाषित किया गया है, सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से दो उप–संवर्गों (यू0पी0पी0एच0 एवं यू0पी0सी0एस0) में प्रवेश करेंगे। यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के व्यक्तिं एल1 स्तर पर उक्त प्रस्तर–5(1)(क)(i) और यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के व्यक्ति जैसाकि उक्त प्रस्तर– 5(1)(ख)(i) में परिभाषित किया गया है, सेवा में एल2 पर प्रवेश करेगे। दोनों उप–संवर्गों के भावी सदस्य, उनसे संबंधित पृथक–पृथक परिभाषित नियमों– 5(1)(क) एवं 5(1)(ख) के अनुसार, अगले स्तर पर प्रोन्नत होंगे। (ख) यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के विभिन्न विशेषज्ञों की पदोन्नति संबंधित विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध रिक्ति पर आधारित होगी।
आरक्षण	6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारिरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भतूपूर्व सैनिकां के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसरा किया जायेगा।
भाग – चार –अर्हतायें	
नागरिकता	7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः– (1) भारत का नागरिक हो, या (2) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (3) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो, परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

	परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले, परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी–''ग'' का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक पम्राण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।
शैक्षिक अर्हता	8. (1) **यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग** : यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 डिग्री होना आवश्यक है। **(अनुलग्नक–2क)**। * अनिवार्य आवासीय रोटेटिंग इन्टर्नशिप (Compulsory Residential Rotating Internship) के अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रोटेटिंग इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की जा सकी है, वे भी यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए इस शर्त के साथ अर्ह होंगे कि चयनित होने की दशा में योगदान से पूर्व उन्हें अनिवार्य आवासीय रोटेटिंग इन्टर्नशिप संतोषजनक रूप से पूर्ण करनी होगी। (2) **यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग** : सेवा में यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास (i) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 उपाधि और (ii) भारतीय चिकित्सा परिषद या उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि/ संबंधित विशेषज्ञता में डिलोमा होना आवश्यक है। **(अनुलग्नक–2क)**। * इस नियमावली के प्रख्यापन के समय, यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में विभिन्न विशिष्टताओं के लिए विशिष्ट योग्यता

	<u>अनुलग्नक–2(ख)</u> में उल्लिखित है। विभाग द्वारा समय–समय पर अनुलग्नक–2(ख) में परिवर्तन किया जा सकता है।
अधिमानी अर्हता	9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने – (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, (3) उच्च शैक्षिक अर्हता रखता हो
आयु	10. (1) यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। (2) यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाएं पहली जुलाई को (45) पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए।
चरित्र	11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा। टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं

प्रारूप

	होंगे। नैतिक अधमता के किसकी अपराध के लिए दोष–सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक परिस्थिति	12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
शारीरिक स्वस्थता	13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा को उत्त्तीण कर ले, परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।
भाग – पांच – भर्ती की प्रकिया	
रिक्तियों का अवधारण	14.(1) नियुक्ति प्राधिकारी सर्वप्रथम भर्ती के वर्ष के दौरान दोनों उप–संवर्गों में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन विभिन्न विशषज्ञताओं हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां आयोग को सूचित की जायेंगी।
ज्येष्ठता (1) विद्यमान सदस्यों की ज्येष्ठता।	15. (1) **विद्यमान सदस्यों की ज्येष्ठता –** (क) उपरिवर्णित नियम 3(15) में परिभाषित समस्त ''विद्यमान सदस्यों'' की ज्येष्ठता इस नियमावली के प्रख्यापन की दिनांक को पूर्व–निर्धारित ज्येष्ठता ही

(2) यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग की ज्येष्ठता। (3) यू0पी0सी0एस0. उप–संवर्ग की ज्येष्ठता। डिग्री एवं डिप्लोमा धारकों के मध्य संवर्गीय ज्येष्ठता	प्रतिधारित रहेगी और यही ज्येष्ठता क्रमांक का उपयोग उनके पूरे शासकीय काल में ज्येष्ठता हेतु किया जायेगा। (ख) विद्यमान सदस्यों का पारस्परिक ज्येष्ठता क्रमांक दोनों उप–संवर्गों के भावी सदस्यों की ज्येष्ठता से ऊपर रहेगा। यह व्यवस्था यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के भावी सदस्यों, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत सीधे एल2 स्तर पर नियुक्त होंगे, हेतु भी लागू रहेंगी।
(4) यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में सेवाकालीन विद्यमान सदस्य जो पूर्व से विशेषज्ञ (डिग्री/ डिप्लोमा– धारक) है या यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में सेवाकालीन विद्यमान सदस्य जो इस सेवा नियमावली के प्रख्यापन के समय विशेषज्ञता डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् हैं अथवा यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में सेवाकालीन विद्यमान सदस्य जो इस सेवा नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात विशेषज्ञता डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं और वापस सेवा में योगदान देते हैं।	(2) **यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के सदस्यों की ज्येष्ठता –** (क) यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के भावी सदस्यों के मध्य ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिए, यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के ''भावी सदस्यों'' की उप–संवर्गीय वरिष्ठता संख्या ''विद्यमान सदस्यों'' की अन्तिम वरिष्ठता संख्या से नीचे नियत की जायेगी। (ख) यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के भावी सदस्यों का ज्येष्ठता क्रमांक आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयनित सूची के क्रमानुसार निर्धारित किया जायेगा, यदि उनके चयन की सूचना विभाग द्वारा संसूचित किये जाने के तीन माह अन्दर चयनित सदस्यों द्वारा सेवा में योगदान दिया जाता है। यदि चयन की सूचना विभाग द्वारा संसूचित किये जाने के तीन माह के बाद चयनित सदस्यों द्वारा योगदान दिया जाता है तो उप–संवर्ग में उनका ज्येष्ठता क्रमांक सेवा में योगदान की तिथि के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। तीन माह की अवधि के बाद सेवा में योगदान करने हेतु चयनित सदस्यों को विभाग द्वारा संसूचित किये जाने के प्रथम तीन माह के अन्दर विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। (ग) यदि कोई विशेषज्ञ डिग्री/डिप्लोमा योग्यता धारक अपनी इच्छा से यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग भर्ती हेतु आवेदन करता है और यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में भावी सदस्य के रूप में चयनित हो जाता है तो उच्चतर योग्यता होने के बावजूद चयनित सदस्य यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में ही बना रहेगा।
(5) यू0पी0पी0एच0 उप– संवर्ग में सेवाकालीन सदस्य (भावी सदस्य) जो इस सेवा नियमावली	(3) **यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के सदस्यों की ज्येष्ठता –**

के प्रख्यापन के पश्चात सेवा में योगदान देते है और तत्पश्चात विशेषज्ञता डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करते हैं। (6) विशेषज्ञतावार ज्येष्ठता		(क) यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के भावी सदस्यों की ज्येष्ठता निर्धारित करने हेतु, यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के भावी सदस्यों की उप–संवर्गी ज्येष्ठता क्रमांक 100000 (एक लाख) से निर्धारित की जायेगी। (ख) यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के भावी सदस्यों का ज्येष्ठता क्रमांक आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयनित सूची के क्रमानुसार निर्धारित किया जायेगा, यदि उनके चयन की सूचना विभाग द्वारा संसूचित किये जाने के तीन माह अन्दर चयनित सदस्यों द्वारा सेवा में योगदान दिया जाता है। यदि चयन की सूचना विभाग द्वारा संसूचित किये जाने के तीन माह के बाद चयनित सदस्यों द्वारा योगदान दिया जाता है तो उप–संवर्ग में उनका ज्येष्ठता क्रमांक सेवा में योगदान की तिथि के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। तीन माह की अवधि के बाद सेवा में योगदान करने हेतु चयनित सदस्यों को विभाग द्वारा संसूचित किये जाने के प्रथम तीन माह के अन्दर विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। (ग) **यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में आयोग द्वारा उपलब्ध सूची में डिग्री एवं डिप्लोमा धारकों के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक का आवंटन–** डिग्री धारक एवं डिप्लोमा धारक, दोनों यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में, उक्त नियम–5(1)(ख)(i) के अनुसार, सीधे प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। यू0पी0सी0एस0 डिग्री धारक विशेषज्ञ चिकित्सकों के मध्य ज्येष्ठता अवधारित करने हेतु उप–संवर्गीय ज्येष्ठता क्रमांक पहले यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के डिग्री योगता–धारक व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा, जैसाकि उपरिवर्णित नियम 15(3)(ख) में उल्लिखित है। आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयनित सूची में वह डिप्लोमा धारक जिनके द्वारा उपरिवर्णित नियम 15(3)(ख) के अनुसार यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में योगदान किया जाता है, उन्हें यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में अन्तिम डिग्री धारक की ज्येष्ठता के नीचे का ज्येष्ठता क्रमांक आवंटित किया जायेगा, अर्थात यदि आयोग द्वारा उपलब्ध चयनित सूची में एक डिप्लोमा–धारक, डिग्री–धारक से ऊपर होता है तो भी

		ज्येष्ठता के उद्देश्य से सभी डिग्री–धारक को आयोग की चयनित सूची एवं उक्त नियम 15(3)(ख) के अनुसार सबसे पहले वरिष्ठता क्रमांक आवंटित किया जायेगा और तत्पश्चात डिप्लोमा–धारक को वरिष्ठता क्रमांक आवंटित होगा। डिग्री एवं डिप्लोमा धारक, दोनों ही के द्वारा यदि आयोग की चयन सूची को सूचना विभाग द्वारा संसूचित किये जाने के तीन माह के बाद योगदान दिया जाता है तो जैसाकि उपविवर्णित नियम 15(3)(ख) में उल्लेख किया गया है, उप–संवर्ग में उनका ज्येष्ठता क्रमांक सेवा में योगदान की तिथि के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। **(अनुलग्नक–3 : वरिष्ठता का चित्रण)।** * आयोग द्वारा अगामी भर्ती चक्र के लिए अग्रेषित सूची के आधार पर यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में प्रवेश करने वाले डिग्री/डिप्लोमा–धारको का वरिष्ठता क्रमांक, पूर्व भर्ती चक्र में यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में प्रवेश करने वाले डिप्लोमा धारकों के वरिष्ठता क्रमांक से नीचे आवंटित किया जायेगा। (4) **यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में सेवाकालीन विद्यमान सदस्य जो पूर्व से विशेषज्ञ (डिग्री/डिप्लोमा– धारक) है या यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में सेवाकालीन विद्यमान सदस्य जो इस सेवा नियमावली के प्रख्यापन के समय विशेषज्ञता डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् हैं अथवा यू0पी0पी0एच0 उप– संवर्ग में सेवाकालीन विद्यमान सदस्य जो इस सेवा नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात विशेषज्ञता डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं और वापस सेवा में योगदान देते हैं –** इन चिकित्सकों का वरिष्ठता क्रमांक यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में बनाये रखा जायेगा और ये अपने शेष सेवाकाल में यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग का हिस्सा बने रहेंगे। **(5) यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के सेवाकालीन सदस्य (भावी सदस्य) जो इस नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात विशेषज्ञ डिग्री/डिप्लोमा में प्रवेश लेते हैं और पाठयक्रम पूर्ण करते हैं।** (क) यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के चिकित्सक (भावी सदस्य) जो इस नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात, अनुलग्नक–2 (ख) के अनुसार सरकार द्वारा वांछित स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्री में प्रवेश लेते हैं,

पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात स्तर–2 (एल2) में वापस योगदान देने पर वे क्षैतिज रूप से यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में पदस्थापित होंगे। उनकी यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में स्तर–2 (एल2) पर योगदान देने की तिथि के आधार पर निर्धारित होगा।

(ख) यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के चिकित्सक (भावी सदस्य) जो अनुलग्नक–2(ख) के अनुसार सरकार द्वारा वांछित स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं और स्तर–2 (एल2) में मौलिक रूप से नियुक्ति से पूर्व वापस योगदान देते हैं, वे एल2 में प्रवेश तक यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में ही बने रहेंगे। एल2 में प्रवेश पर वे क्षैतिज रूप से यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में पदस्थापित होंगे। उनका यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक स्तर–2 (एल2) पर योगदान देने की तिथि के आधार पर निर्धारित होगा। हालांकि इस चिकित्सकों की सेवायें यथावश्यकतानुसार विशेषज्ञ के रूप में उपयोग में लायी जा सकती हैं।

(ग) यदि यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के व्यक्ति द्वारा इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व स्तर–2 (एल2) में प्रवेश से पूर्व स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्री पूर्ण कर ली जाती है और यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग का डिप्लोमा योग्यता–धारक एल2 में मौलिक रूप से एक ही तिथि को प्रवेश करते हैं तो यू0पी0पी0एच उप–संवर्ग का डिप्लोमा/डिग्री–धारक को यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के डिप्लोमा–धारक से वरिष्ठ माना जाएगा।

(घ) उपरोक्तानुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के "भावी सदस्य" जो यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में विभिन्न स्तरों पर योगदान देते हैं, की संख्या को यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग की स्ट्रेन्थं हेतु आगणित किया जाएगा और तद्नुसार ही सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु रिक्तियों की संख्या आयोग को प्रेषित की जायेगी।

(6) **विशेषज्ञतावार वरिष्ठता**

(i) विशेषज्ञतावार ज्येष्ठता सूची यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के ज्येष्ठता क्रमांक पर आधारित होगी और

	इसे प्रति वर्ष प्रकाशित किया जायेगा। **(अनुलग्नक–3 में चित्रण)।**
सीधी भर्ती की प्रक्रिया	16. (1) चयन के लिए विचार किए जाने वाले आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे। (2) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार, यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग हेतु एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। (3) आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार, यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग हेतु (डिग्री–धारकों एवं डिप्लोमा–धारकों हेतु पृथक–पृथक) सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा बराबर–बराबर अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग द्वारा उक्त सूची (डिग्री एवं डिप्लोमा–धारकों हेतु पृथक–पृथक) नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी। (4) आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग हेतु उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों, जैसा वह आवश्यक समझे।
यू0पी0पी0एच0 एवं यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्गों हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर समय समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

	टिप्पणीः— चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम (निर्देशन) समय—समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा—7 के अधीन दिए गये आदेश के अनुसार किया जाएगा (2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूंचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा, (3) चयन समिति नियम 17(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (4) चयन समिति उपरोक्त परिभाषित किये गये नियमानुसार पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
भाग — छः — नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थानान्तरण और ज्येष्ठता	
नियुक्ति	18. नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम—15, 16 अथवा 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।
परिवीक्षा	19. (1) चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड—1 (यू0पी0पी0एच0) या विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (यू0पी0सी0ए0) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो (2) वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय, परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि —

	(i) चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1 (यू0पी0पी0एच0) या विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (यू0पी0सी0एस0) की दशा में एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या परिवीक्षा की अवधि के समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, जो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उक्त नियम 19(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
स्थायीकरण	20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि (क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक बताया जाय और (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय। (2) जहां उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थाईकरण का आदेश समझा जायेगा।
भाग – सात – वेतन इत्यादि	

वेतनमान	21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान **अनुलग्नक–1** में दिये गये हैं।
स्नातकोत्तर वेतन	22. (1) यहां दी गयी शर्तों के अधीन रहते हुए किसी सेवा के सदस्य को स्नातकोत्तर वेतन अनुमन्य होगा। (2) स्नातकोत्तर वेतन उस सेवा के सदस्य के लिए अनुमन्य नहीं होगा, जो निम्नवत् व्यय, छात्रवृत्ति या फैलोशिप पर स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करता है या प्राप्त कर चुका है : (क) राज्य सरकार, (ख) राज्य सरकार के प्रायोजन पर भारत सरकार या किसी विदेशी सरकार अथवा (ग) राज्य सरकार के प्रायोजन पर किसी भारतीय व विदेशी संस्था या संगठन। **स्पष्टीकरण** (i) अध्ययन–अवकाश या किसी अन्य प्रकार का अवकाश जो देय हो, के प्रदान किये जाने से सेवा का कोई सदस्य स्नातकोत्तर वेतन प्रदान किये जाने के लिए अनर्ह न होगा, यदि विदेश आने और जाने के यात्रा भाड़ा की लागत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी विदेशी संस्था का संगठन द्वारा वित्त पोषित या सहायता प्राप्त न हो। (ii) राज्य सरकार द्वारा केवल पोतारोहण या पोत अवरोहणपत्तन तक वहन किये गये व्यय से कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर वेतन पाने से अनर्ह नहीं होगा। (iii) जब कोई व्यक्ति दो या अधिक स्नातकोत्तर अर्हतायें रखता हो, के स्नातकोत्तर वेतन केवल उच्चतम अर्हता पर स्वीकृत होगा। (iv) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय स्नातकोत्तर वेतन की दर निम्न प्रकार होगी :– (क) स्नातकोत्तर उपाधि या अन्य समकक्ष अर्हता के लिए 200 रूपये प्रतिमाह,

	(ख) स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 100 रूपये प्रतिमाह।
परिवीक्षा अवधि में वेतन	23. (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान वेतनमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा, (3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।
भाग — आठ — अन्य उपबन्ध	
पक्ष समर्थन	24. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
ड्यूटी पर बैज सहित ऐपरन पहनना	25. (1) सेवा का प्रत्येक सदस्य जबकि वह ड्यूटी पर हो सरकार के परामर्श से महानिदेशक द्वारा समय—समय पर दिये गये नाम और पदनाम युक्त बैज के साथ ऐप्रन धारण करेगा। (2) उपनियम—(1) के अधीन सेवा के किसी सदस्य के पोशाक को तैयार कराने, क्रय करने या बदलने के लिए किसी प्रकार का भत्ता या व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
अन्य विषयों का विनियमन	26. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी

	सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
सेवा की शर्तों में शिथिलता	27. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याययुक्त और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। परन्तु जहां भी नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।
तैनाती	28. (1) प्रशासनिक पदधारको के सिवाय यू0पी0पी0एच0 एवं यू0पी0सी0एस0 उप संवर्गों के चिकित्सकों को पद की रिक्तियों के आधार पर उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है। प्रशासनिक पदों की सूची चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर परिभाषित की जायेगी। (2) सेवा/संवर्ग के सदस्यों को आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर तैनात किए जाने का अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।
व्यावृत्ति	29. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायत पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

* - किसी सन्देह एवं विसंगति की स्थिति में नियमावली का अग्रेज़ी संस्करण लागू होगा।

आज्ञा से,

(देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

ड्राफ्ट

अनुलग्नक–1

यू0पी0पी0एच0 एवं यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग का स्तरवार आवंटन

स्तर	पदों की कुल संख्या	यूपीपीएच पदों की संख्या	यूपीसीएस पदों की संख्या
एल1	4213	4213	-
एल2	7665	2706	4959
एल3	3540	1823	1717
एल4	2553	1343	1210
एल5	389	210	179
एल6	20	12	8
एल7	2	1	1
योग	**18382**	**10308**	**8074**

यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के विशेषज्ञतावार आवंटित पद*

विशेषज्ञ	पदों की संख्या	एल2	एल3	एल4	एल5	एल6	एल7
प्रसूति रोग चिकित्सक	1271	831	258	158	23	1	
निश्चेतक	1355	831	291	203	29	1	
बाल रोग चिकित्सक	1460	831	340	250	38	1	
रेडियोलॉजिस्ट	175	135	22	13	4	1	
पैथालॉजिस्ट	175	135	22	13	4	1	
जनरल सर्जन	1528	831	371	292	33	1	
फिज़ीशियन	1354	831	291	203	28	1	
नेत्र रोग विशेषज्ञ	175	135	22	14	4		
हड्डी रोग विशेषज्ञ	120	81	21	14	3	1	
कान, नाक, गला विशेषज्ञ	175	135	22	14	4		
त्वचा रोग विशेषज्ञ	55	34	12	7	2		
मनोरोग विशेषज्ञ	55	34	12	7	2		
मााइक्रोबायोलॉजिस्ट	55	34	12	7	2		
फारेन्सिक विशेषज्ञ	120	81	21	15	3		
महानिदेशक, क्लीनिक सेवाएं	1						1
योग	**8074**	**4959**	**1717**	**1210**	**179**	**8**	**1**

*- यू0पी0पी0एच0 एवं यू0पी0सी0एस0 का उप–संवर्गवार तैनाती का स्थान विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

यू0पी0पी0एच0 एवं यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग का वेतनमान

		7वां वेतन आयोग		
उप–संवर्ग	**छटा वेतन आयोग**	**न्यूनतम वेतन**	**स्तर**	**सूचक**
यू0पी0पी0एच0 एल1	पी0बी0–3 5400	56100	10	2.67
यू0पी0पी0एच0 / यू0पी0सी0एस0 एल2	पी0बी0–3 6600	67700	11	2.67
यू0पी0पी0एच0 / यू0पी0सी0एस0 एल3	पी0बी0–3 7600	78800	12	2.67
यू0पी0पी0एच0 / यू0पी0सी0एस0 एल4	पी0बी0–3 8700	118500	13	2.57
यू0पी0पी0एच0 / यू0पी0सी0एस0 एल5	पी0बी0–3 8900	131100	13A	2.67
.यू0पी0पी0एच0 / यू0पी0सी0एस0 एल6	पी0बी0–4 10000	144200	14	2.72
यू0पी0पी0एच0 / यू0पी0सी0एस0 एल7	पी0बी0–4 12000	144200	14	2.72

ड्राफ्ट

अनुलग्नक–2क

1	2	3	4
1.	उ0प्र0 पब्लिक हेल्थ उप–संवर्ग एल1 पद, 1. चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1 (वेतन बैंड–3, रू0 15600–39100, ग्रेड वेतन रू0 5400)	35 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्यतायें :** (1) मान्यताप्राप्त एम0बी0बी0एस0 योग्यता, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के परिशिष्ट–1 एवं 2 या परिशिष्ट–3 के भाग–।। (लाइसेन्शिएट योग्यता के अलावा) में सम्मिलित है। परिशिष्ट–3 के भाग–।। में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता धारक को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा–13 की उप–धारा–3 में निर्धारित शर्तों को भी पूर्ण करना होगा। (2) अनिवार्य आवासीय रोटेटिंग इन्टर्नशिप **(Compulsory Residential Rotating Internship)** – अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रोटेटिंग इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की जा सकी है, वे भी लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए इस शर्त के साथ अर्ह होंगे कि चयनित होने की दशा में नियुक्ति से पूर्व उन्हें अनिवार्य आवासीय रोटेटिंग इन्टर्नशिप संतोषजनक रूप से पूर्ण करनी होगी। **टिप्पणी–(1)** : अभ्यर्थी की आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि होगी। (और आसाम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिम, जम्मू एवं कशमीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पिति जनपद एवं चम्बा जनपद का पांगी उप–क्षेत्र), अण्डमान निकोबार द्वीप एवं लक्ष्यदीप के लिए अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं होगी)। **टिप्पणी–(2)** : उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार उन अभ्यर्थियों को योग्यता में शिथिलीकरण प्रदान की जायेगी जो अन्यथा असाधारण योग्यता रखते हों। **टिप्पणी–(3)** : उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव में शिथिलता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उस स्थिति में प्रदान जायेगी जब चयन के किसी स्तर पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की राय में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों के लिए वांछित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो।
2.	उ0प्र0 क्लीनिकल सेवाएं उप–संवर्ग एल2 पद 1. विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी	45 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्यतायें :** (1) मान्यताप्राप्त एम0बी0बी0एस0 योग्यता, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के परिशिष्ट–1 एवं 2 या परिशिष्ट–3 के भाग–।। (लाइसेन्शिएट योग्यता के अलावा) में सम्मिलित है। परिशिष्ट–3 के भाग–।। में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता–धारक को भारतीय

	(वेतन बैंड–3, रू0 15600–39100, ग्रेंड वेतन रू0 6600)		चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा–13 की उप–धारा–3 में निर्धारित शर्तों को भी पूर्ण करना होगा। (2) इस अनुलग्नक में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता। प्रत्येक विशेषज्ञता के लिए स्वीकार्य योग्यता का इस अनुलग्नक में उल्लेख किया गया है, जिसे सरकार द्वारा समय–समय पर जैसे अधिसूचित किया जाये, संशोधित किया जा सकता है। **टिप्पणी–(1)** : अभ्यर्थी की आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि होगी। (और आसाम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पिति जनपद एवं चम्बा जनपद का पांगी उप–क्षेत्र), अण्डमान निकोबार द्वीप एवं लक्ष्यदीप के लिए अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं होगी)। **टिप्पणी–(2) :** आयोग के विवेकानुसार उन अभ्यर्थियों को योग्यता में शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा जो अन्यथा असाधारण योग्यता रखते हों। **टिप्पणी–(3)** : उ0प्र0 लोक आयोग के विवेकानुसार अनुभव में शिथिलता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उस स्थिति में प्रदान जायेगी जब चयन के किसी स्तर पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की राय में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों के लिए वांछित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो।

अनुलग्नक–2ख

यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग के एल2 पदों हेतु अर्हताएं
**नियमाक प्राधिकारी द्वारा निधारित नियमों के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अर्हताओं में समय–समय पर यथावश्यक संशोधन कर सकता है।

क0	विषय	भाग–क अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि	भाग–ख अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपाधि
1	2	3	4
1.	जनरल मेडिसिन	एम0डी0 (मेडिसिन) एम0डी0 (जनरल मेडिसिन)	
2.	जनरल सर्जरी	एम0एस0 (सर्जरी) एम0एस0 (जनरल सर्जरी)	
3.	आब्सट्रेट्रिक्स एवं गाइनाकालोजिस्ट	एम0डी0 (आब्सट्रेटिक्स एवं गाइनाकालाजिस्ट) एम0एस0 (आब्सट्रेटिक्स एवं गाइनाकालाजिस्ट)	डी0जी0ओ0
4.	पीडियाट्रिक्स	एम0डी0 (पीडियाट्रिक्स) डिप्लोमा (पीडियाट्रिक्स), डी0सी0एच0	डिप्लोमा (पीडियाट्रक्स) डी0सी0एच0
5.	एनेस्थयोलाजी	एम0डी0 (एनेस्थयोलाजी)/एम0एस0 (एनेस्थयोलाजी)	डी0ए0
6.	आप्थेलमेलाजी	एम0डी0 (आप्थेलमेलाजी) एम0एस0 (आप्थेलमेलाजी)	डी0ओ0 डी0ओ0एम0एस0
7.	आर्थोपेडिक	एम0एस0 (आर्थोपेडिक)	डी0 आर्थोपेडिक
8.	रेडियो–डाइग्नोसिस	एम0डी0 (रेडियो–डाइग्नोसिस) एम0डी0 (रेडियोलाजी) एम0एस0 (रेडियोलाजी)	डी0एम0आर0डी0 या समकक्षीय एक वर्षीय डिप्लोमा
9.	पैथालाजी	एम0डी0 (पैथालाजी) पी0एच0डी0 (पैथालाजी) डी0एस0सी0 (पैथालाजी)	डी0सी0पी0 डी0पी0बी0
10.	ओटो–रिहनी लेरिंगोलाजी (इ0एन0टी0)	एम0एस0 (ओटो–रिहनी लेरिंगोलाजी)	डी0आई0ओ0 डी0ओ0आर0एल0
11.	डर्माटोलाजी	एम0डी0 (डर्माटोलाजी) एम0डी0 (डर्माटोलाजी एवं वेनीरोलाजी)	डी0डी0
12.	साइक्याट्री	–एम0डी0 (साइक्याट्री) –एम0डी0 (साइकोलाजिकल (एक वर्षीय कोर्स) –मेडिसिन/साइकोलाजिकल डिप्लोमा सहित मेडिसिन में एम0डी0 –साइक्याट्री में डिप्लोमा (इडिन) का दो वर्षीय कोर्स	डी0पी0एम0
13.	माइक्रोबायलोजी/	–एम0डी0 (बैक्टीरियालोजी)	

	बैक्टीरियालोजी	–एम0डी0 (माइक्रोबायोलोजी) –एम0एस0सी0 (मेडिसिन) सहित एम0बी0बी0एस0 –बैक्टीरियालोजी / एम0एस0सी0 (मेडिसिन) –माइक्रोबायोलोजी / पी0एच0डी0 (मेडिसिन बैक्टीरियालोजी) –डी0एस0सी0 (मेडिसिन बैक्टीरियोलोजी) सहित एम0एस0सी0 (मेडिसिन बैक्टीरियालोजी) –पी0एच0डी0 (मेडिसिन माइक्रोबायालोजी) सहित एम0एस0सी0 (मेडिसिन माइक्रोबायोलोजी) / डी0एस0सी0 (मेडिसिन माइक्रोबायालोजी) सहित एम0एस0सी0 (मेडिसिन माइक्रोबायोलोजी	

ड्राफ्ट

अनुलग्नक–3

सरकार द्वारा वांछित विशेषज्ञता पाठ्यक्रम को पूर्ण करने वाले यू0पी0पी0एच0 एवं यू0पी0सी0एस0 चिकित्सकों की वरिष्ठता निर्धारण का चित्रण

पृष्ठभूमिः विद्यमान चिकित्सकों की सबसे कम वरिष्ठता क्रमांक–20000 होने की स्थिति में–

नियम–15(1) का स्पष्टीकरण :

वरिष्ठता क्रमांक–19000 धारित विद्यमान चिकित्सक (क) इस नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में होगा। चिकित्सक (ख) स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं, जो भर्ती के पहले चक्र में यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में एल2 में प्रवेश करता है, उसे यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक–100001 आवंटित होता है।

यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक–19000 धारित चिकित्सक (क) को यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक–100001 धारित चिकित्सक (ख) से ज्येष्ठ माना जायेगा।

नियम 15(2)(ख) का स्पष्टीकरण :

चिकित्सक (क), (ख), (ग) एवं (घ) योग्यता (merit) के उसी क्रम में जून, 2020 में यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग के लिए चयनित किये गये, (चिकित्सक (क) योग्यता में चिकित्सक (ख) से, चिकित्सक (ख) चिकित्सक (ग) से और चिकित्सक (ग) योग्यता में चिकित्सक (घ) की तुलना में उच्चतर है)। चिकित्सक (क) एवं चिकित्सक (घ) द्वारा माह अगस्त, 2020 से पूर्व सेवा में योगदान किया गया। चिकित्सक (ख) द्वारा यथावश्यक अनुमोदन प्राप्ति के उपरान्त माह दिसम्बर, 2020 में सेवा में योगदान किया गया तथा चिकित्सक (ग) द्वारा माह नवम्बर, 2020 में योगदान किया गया।

चिकित्सक (क) को यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक–20001 और चिकित्सक (घ) को वरिष्ठता क्रमांक–20002 प्रदान किया जाएगा। चयन की सूचना संसूचित किये जाने के 03 माह पश्चात, योगदान की तिथि के आधार पर वरिष्ठता क्रमांक अवधारित की जाएगी। अतः चिकित्सक (ग) को यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक–20003 एवं चिकित्सक (घ) को वरिष्ठता क्रमांक–20004 प्रदान किया जायेगा।

नियम 15(2)(ग) का स्पष्टीकरण :

चिकित्सक (क) विद्यमान चिकित्सक है, जिसका वरिष्ठता क्रमांक 20000 है, (वर्तमान में सबसे कम)। चिकित्सक (ख) एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक है और चिकित्सक(ग) स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारित है। चिकित्सक (ख) एवं चिकित्सक (ग), दोनों द्वारा यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में आवेदित किया जाता है और चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने पर आयोग द्वारा प्रेषित सूची में वे चयनित हो जाते हैं जिसमें चिकित्सक (ख), चिकित्सक (ग) की तुलना में उच्चतर है।

चिकित्सक (ख) एवं चिकित्सक (ग) को यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में क्रमशः वरिष्ठता क्रमांक 20001 एवं 20002 प्रदान किया जाएगा। चिकित्सक (क) अपने शेष सेवाकाल में यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में यथावत् बना रहेगा।

नियम 15(3) का स्पष्टीकरण :

इस नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात, भर्ती के प्रथम चक्र में तीन माह के अन्दर आयोग द्वारा अग्रेषित सूची में चयनित 50 विशेषज्ञ यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में योगदान देते हैं – 25 स्नातकोत्तर डिग्री–धारक तथा 25 स्नातकोत्तर डिप्लोमा–धारक। चिकित्सक (क) स्नातकोत्तर डिग्री–धारकों में सबसे उच्चतम है एवं चिकित्सक (ख) स्नातकोत्तर डिप्लोमा–धारकों में सबसे उच्चतम हैं।

चिकित्सक (क) को यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक 100001, 25 डिग्री–धारकों को वरिष्ठता क्रमांक आवंटित होने के पश्चात् चिकित्सक (ख) को यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक 100026 आवंटित किया जायेगा।

''भावी सदस्यों'' हेतु नियम 15(5) का स्पष्टीकरणः

नियम 15(5)(क) का स्पष्टीकरणः

चिकित्सक (क) यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में माह जून, 2025 में योगदान देता है और यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में उसे वरिष्ठता क्रमांक–30000 आवंटित होता है। वह स्तर–2 (एल2) में माह जून, 2029 में योगदान देता है, स्नातकोत्तर डिग्री में वर्ष 2027 में प्रवेश लेता है, और वर्ष 2030 में वापस सेवा में पुर्नयोगदान करता है।

चिकित्सक (ख), स्नातकोत्तर डिग्री–धारक है और यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में सीधे माह जून, 2029 में योगदान देता है और उसे यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक–104000 आवंटित किया जाता है।

चिकित्सक (क) माह जून, 2030 में क्षैतिज रूप से यू0पी0एस0सी0 उप–संवर्ग में पदस्थ होगा और स्तर–2 (एल2) में प्रवेश की तिथि के आधार पर उसे वरिष्ठता क्रमांक 10400ख आवंटित किया जाएग

नियम 15(5)(ख) का स्पष्टीकरण :

चिकित्सक (क) द्वारा यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में माह जून, 2021 में योगदान दिया गया और उसे यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक 21000 आवंटित किया गया। उसके द्वारा वर्ष 1922 में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश लिया गया और वर्ष 1924 समें सेवा में पुर्न–योगदान दिया गया। वह स्तर–2 (एल2) में प्रवेश तक (वर्ष 2025), यू0पी0पी0एच0 उप–संवर्ग में बना रहेगा।

चिकित्सक (ख), स्नातकोत्तर डिग्री धारक है जिसने यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता कमांक 102000 के साथ माह जून 2025 में यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में योगदान किया है।

चिकित्सक (ग), स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक है जिसने यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में योगदान किया है और माह जून 2025 में उसी तिथि को स्तर–2 (एल2) में प्रवेश किया जिस तिथि में चिकित्सक (ख) द्वारा स्तर–2(एल2) में प्रवेश किया गया है।

चिकित्सक (ग) को सेवा में योगदान की तिथि से यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता कमांक 102001 आवंटित किया जायेगा।

चिकित्सक (क) को माह जून 2025 में स्तर–2 (एल2) पर प्रवेश की तिथि से यू0पी0सी0एस0 उपसंवर्ग में 102000(ख) प्रदान किया जायेगा।

नियम 15(5)(ग) का स्पष्टीकरण :

चिकित्सक (क) एवं चिकित्सक (ख) यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में माह जून, 2020 में योगदान दिया जाता है। उन्हें कमशः वरिष्ठता कमांक 100001 एवं 100002 आवंटित किया जाता है।
चिकित्सक (क) स्नातकोत्तर डिग्री धारक है। चिकित्सक (ख) डिप्लोमा धारक है जो एक वर्ष पश्चात् स्तर–2 (एल2) में प्रवेश करेगा। आगामी भर्ती चक्र के माध्यम से चिकित्सक (ग) स्नातकोत्तर डिग्रीधारक, चिकित्सक (ग) यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में योगदान देता है।

चिकित्सक(ग) को पूर्व भर्ती चक्र के स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक के नीचे यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता कमांक 100003 आवंटित किया जायेगा।

नियम 15(5)(घ) का स्पष्टीकरण :

चिकित्सक (क) एवं चिकित्सक (ख) यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में माह जून, 2020 में योगदान देते हैं। यू0पी0सी0एस0 उपसंवर्ग में कमशः वरिष्ठता कमांक 100001 एवं 100002 आवंटित किया जाता है। चिकित्सक (क) स्नातकोत्तर डिग्री धारक है। चिकित्सक (ख) डिप्लोमा धारक है, जो एक वर्ष पश्चात् स्तर–2 (एल2) में प्रवेश करेगा। आगामी भर्ती चक्र के माध्यम से चिकित्सक (ग) स्नातकोत्तर डिग्रीधारक, चिकित्सक (ग) यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में योगदान देता है।

चिकित्सक(ग) को पूर्व भर्ती चक्र के स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक के नीचे यू0पी0सी0एस0 उप–संवर्ग में वरिष्ठता कमांक 100003 आवंटित किया जायेगा।